रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935
No. 256] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014

सा. का. नि. **309(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

फामबोंगलोह वन्यजीव, गंगटोक के पश्चिम की ओर स्थित है, कांगहेनजोंगा पहाड़ के शानदार दृश्य के साथ यह सम्पूर्ण पहाड़ी रेंजों पर फैला होने के साथ यह पारिस्थितिक पर्यटक के लिए एक सौगात है । गंगटोक और उसके चारों और के तीव्र विकास से हुए पारिस्थितिक नुकसान को पूरा करने के लिए 1984 में इस अभ्यारण की स्थापना की गई थी । इस अभ्यारण का क्षेत्रफल 51.76 वर्ग किलोमीटर है;

और अभ्यारण एक वन्यजीव पर्यवास है और इसकी ऊंचाई की प्रवणता 1524 मीटर से 2749 मीटर की रेंज में है । यह पूर्वोत्तर-दक्षिणपश्चिम में फैले हुए रिज पर आवस्थित हैं । वन्यजीव पर्यवास में क्वर्कस प्रजातियों (कट्टूस), मिशेलिया प्रजातियां (चाम्प), माकिलस प्रजातियों (क्वालो) और मोरस प्रजातियों(किंबू) का प्रभुत्व है । संरक्षित क्षेत्र के भीतर बांस वृक्ष फर्न, सायथिया प्रजातियां, रोडोडेंड्रोन प्रजातियां के साथ लायोनिया ओवालिफोलिया भी परस्पर फैला हुआ पाया जाता है । यह अभ्यारणय बड़ी संख्या में जंगली आर्किडों, मोसिस और लायकोपोडियम प्रजातियों का भी प्राश्रय है ।

और अभ्यारणय के भीतर 32.38 हेक्टेयर क्षेत्र में बस्ती है किंतु यह अभ्यारणय का भाग नहीं है;

और अभ्यारणय अनेक अनुसूचित प्राणियों [वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1975 (1972 का 53) की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट] का पर्यावास है और जिसके चारों ओर अनेक ग्रामों और छोटे शहरों के लिए पेयजल का भी स्रोत होने के साथ यह, सिक्किम की जीवन रेखा तिस्ता नदी की अनेक उपलब्धियों का भी प्रमुख स्रोत है । यह अभ्यारणय अनेक आविफोना का भी पोषण करता है और इसमें स्टायर ट्रेगोपान की महत्वपूर्ण संख्या है जो इस संकटापन्न तीतर के प्रजनन के लिए अच्छा स्थान उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त इस अभ्यारणय में अनेक प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं । यह गंगटोक से निकटतम संरक्षित क्षेत्र है जो बड़ी संख्या में हरित कवर से आच्छादित है ;

और अभ्यारणय एक पर्यवास है जिसमें विभिन्न प्रकार के दुर्लभ और संकटापन्न प्राणियों अर्थात् गोराल, सेरो, लाल पांडा, हिमालयन काला भालू, वीजल, मार्टेन, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, मार्वल्ड बिल्ली, बड़ा भारतीय सीवेट और पाम सीवेट रहते हैं । आवीफोनन विविधता में कालिज तीतर, स्टायर ट्रेगोपान, पहाड़ी पाटरिज, भूरा वुड उल्लू, कालर्ड स्कोप उल्लू, पीली चोंच वाला नीला मेगपाई, काली चील, हरा कबूतर, साल्टी हेडेड पेराकीट, येलो वेट सनबर्ड, मारून ओरियोल, संतरी पेट वाला क्लोरोप्सिस, लाल पूंछ मींनला, नेपाल ट्री क्रिपर, बुलबुल, लाफिंग थ्रसस और टिटमाइस हैं जो अभ्यारणय में हैं ;

और, यह आवश्यक है कि फामबोंगलोहो वन्य जीव अभ्यारण्य को सुरक्षित किया जाए और फामबोंगलोहो वन्य जीव अभ्यारणय के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसमें वन्य जीवन तथा उसके पर्यावरण को संरक्षित और प्रसारित करने के दृष्टिकोण से संरक्षित और सुरक्षित किया जाए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य फामबोंगलोहो अभ्यारण्य की सीमा से पच्चीस मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) फामबोंगलोहो वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर 25 मीटर तक पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर 27^0 21' 51" उत्तरी अक्षांश और 88^0 36' 25" पूर्व देशांतर पूर्वी ओर है (मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या 1) 27^0 17' 57" उत्तरी अक्षांश और 88^0 28' 33" पूर्व देशांतर पश्चिमी ओर है (मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या 9); 27^0 22' 49" उत्तरी अक्षांश और 88^0 34' 50" (मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या4) 27^0 16' 22" उत्तरी अक्षांश और 88^0 30' 13"(मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या 11)

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र अक्षांश और रेखांश के साथ इस अधिसूचना के उपाबंध 1 के रूप में संलग्न है ।

(4) फामबोंगलोहो वन्य जीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 33 ग्रामों की सूची उसके अक्षांश और रेखांश के साथ इस अधिनियम के उपाबंध 2 के रूप में संलग्न है ।

(5) उपाबंध 2 में दिए गए ग्रामों की सूची का राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय उसको अतिरिक्त पुनः निरीक्षण और पुष्टि की जाएगी ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर योजना --(1) राज्य सरकार स्थानीय लोगों, के साथ परामर्श से पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए एक जोनल मास्टर योजना तैयार करेगी ।

(2) जोनल मास्टर योजना सभी संबंधित राज्य विभागों जैसे वन, पर्यावरण और वन्य प्राणी प्रबंधन, सिक्किम पुलिस, शहरी और आवास विकास, पर्यटन ग्रामीण प्रबंधन और विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण विभाग तथा भू-राजस्व तथा आपदा प्रबंधन को संबद्ध करके तैयार की जाएगी ताकि उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत किया जा सके ।

(3) जोनल मास्टर योजना निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरुद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, कैचमेंट क्षेत्रों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, भू जल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य परिप्रेक्ष्यों जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है के लिए उपबंध करेगी ।

(4) जोनल मास्टर योजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों की किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्रों और बागवानी क्षेत्रों, झीलों, अन्य जल निकायों और उद्यमी इकाइयों को चिन्हित करेगी ।

(5) जोनल मास्टर योजना विधिक रूप से अभिलिखित गैर वन भूमि को छूट प्रदान करेगी ।

(6) जोनल मास्टर योजना राज्य स्तरीय प्रास्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसजैडएमसी कहा गया है) के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन उसके मानीटरी करने के कार्यों को करने के पैरा 4 में यथा निर्दिष्ट अनुसार एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(7) जोनल मास्टर योजना पैरा 3 में निर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के विनियमन के लिए उपाय और अनुबंधों को अधिकथित करेगी ।

(8) वन भूमि, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित खुले क्षेत्रों के भूमि उपयोग को वाणिज्यिक या औद्योगिक संबंधी विकास गतिविधियों में परिवर्तित करने को पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विद्यमान स्थानीय आबादी की नैसर्गिक वृद्धि से उद्भूत स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन से संबंधित मद संख्या 12, 25, 26, 30 और 31 में सूचीबद्ध कार्यकलाप हैं, कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार आदि हैं, लघु उद्योग जो प्रदूषण कारित नहीं कर रहे हैं, गृह आवास, रोप वे, कायोस्क, फनिकुलर आदि और पैरा 3 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन सुरक्षा बल शिविर हैं के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि जनजातीय उपयोग से भूमि के उपयोग में गैर जनजातीय उपयोग के लिए कोई परिवर्तन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों का अनुपालन किए बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(9) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ऐसे अन्य उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगी जैसा वह इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझे ।

(10) **प्राकृतिक जलस्रोत**--सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(11) **पर्यटन**--पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के संनिर्माण की सिवाय पैरा 3 की सारणी के स्तम्भ (2) के अधीन गृहों में ठहरने, रोपवे, क्योस्क, फ्नुकलर्स आदि जैसी पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के, मंजूरी नहीं होगी ;

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iv) पर्यटन क्रियाकलाप भी जोनल मास्टर प्लान का एक भाग होगा ।

(12) **नैसर्गिक विरासत**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संभारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसे प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(13) **ध्वनि प्रदूषण** - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(14) **वायु प्रदूषण** - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(15) **बहिस्रावों का निस्सारण** :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(16) ठोस अपशिष्ट :--(1) ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(17) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 में प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(18) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

3. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलाप -पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी कार्यकलापों का प्रशासन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार होगा और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	हां	-	-	सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से सिवाय स्थानीय निवासियों की सद्भावपूर्वक घरेलू आवश्यकताओं के प्रतिषिद्ध हैं;
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	(क)राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ; (ख) संबंधित केंदीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना	हां	-	-	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि ,प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना करना।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्रदूषणकारी नए उद्योग या विद्यमान उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
5.	किन्हीं परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां	-	-	
6.	वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में तत्काल प्रभाव से कोई नए वाणिज्यिक होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे ।
7.	जलाने की लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	हां	-	-	
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है ।	-	हां	-	(क) भूमि के अधिभोगी की वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा;

					(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
9.	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (101 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, संबधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्यधीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी ।
10.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का संनिर्माण ।	-	हां	-	अंडरग्राउंड केबिलिंग का संवर्धन करना ।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	-	-	हां	
12.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाए ।
13.	होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना	-	हां	-	
14.	वनस्पतिक बाड़ लगाना			हां	
15.	जैविक खेती	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
16	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	-	हां	-	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	-	हां	-	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना	-	हां	-	
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे अभ्यारणय के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि ।	-	हां	-	
20.	पहाड़ी ढालानों और नदी के किनारों का संरक्षण	-	हां	-	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अननुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	हां	-	-	
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	-	हां	-	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां	-	
24.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
25.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	-	-	हां	-
26.	प्रदूषण कारित न करने	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर

	वाले लघु उद्योग				परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं ।
27.	नए काष्ठ आधारित उद्योग	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी ।
28.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	-	हां	-	-
29.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के जिसके अंतर्गत मद संख्या 12, 25, 30 और मद संख्या 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं । मद संख्या 26 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामले में संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा ।
30.	घर में रहना, रोप वे, क्योस्क, फनिकुलर आदि जैसी पारिस्थितिकी - पर्यटन सुविधाएं	-	हां	-	
31.	सुरक्षा बल शिविर	-	हां	-	
32.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	हां	-	-	

4. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए सिक्किम राज्य के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार - अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय, शिलांग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iii) मुख्य वन संरक्षक-प्रादेशिक -सदस्य ;

(iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सिक्किम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य ;

(vi) ग्रामीण प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(vii) गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, सिक्किम का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(viii) कृषि विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(ix) शहरी विकास और आवास विकास विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(x) संबद्ध जिला कलक्टर -सदस्य ;

(xi) संबद्ध प्रभागीय वन्य जीव अधिकारी -सदस्य ;

(xii) निदेशक, पर्यावरण विभाग - सदस्य सचिव ।

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निदेश दे सकेगा ।

5. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हैं के अध्यधीन हैं ।

उपाबंध- 1

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का बाहरी अक्षांश और रेखांश तथा उनके विस्तार को दर्शित करने वाला मानचित्र

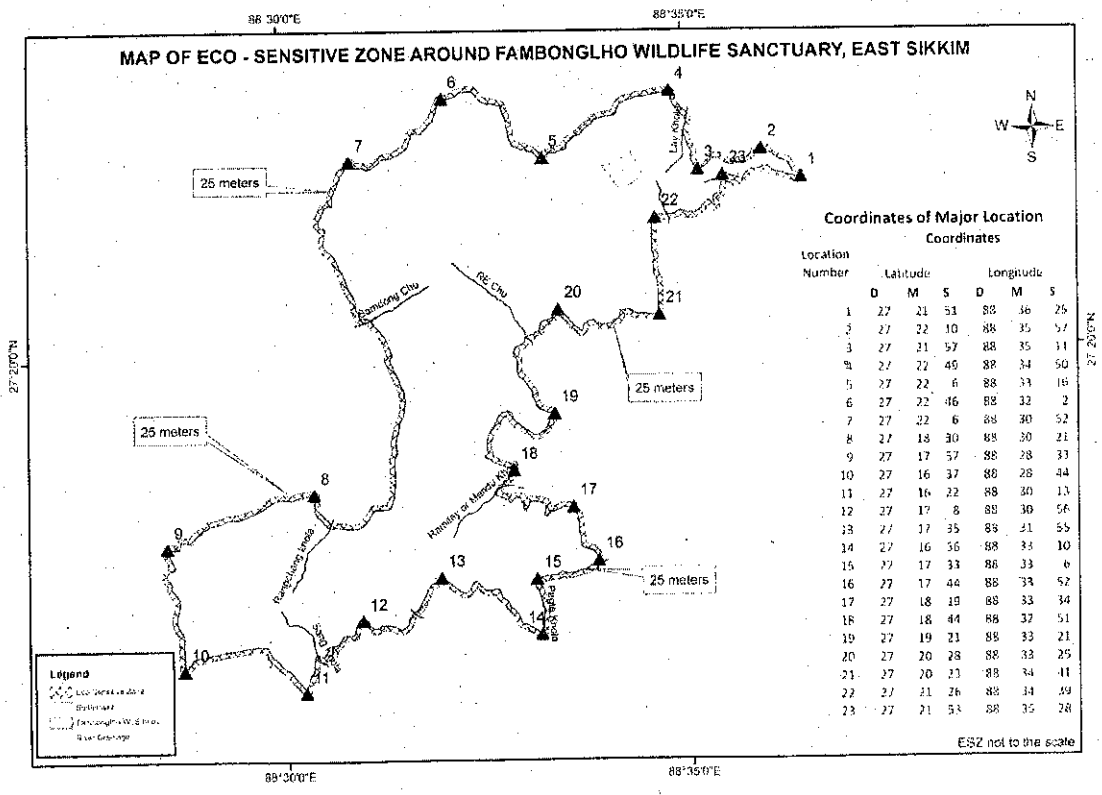

उपाबंध-2

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन फामबोंग्लोह अभ्यारणय सिक्किम के भीतर आने वाले ग्राम

क्र.सं.	गांव का नाम	रेखांश			अक्षांश		
		डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1.	ऊपरी राकडोंग	27	22	44	88	31	33
2.	ऊपरी टिनटेक	27	22	18	88	30	45
3.	राक्से(राक्डोंग टिनटेक गुम्पा)	27	23	21	88	32	18
4.	खेसे	27	20	36	88	30	28
5.	धनबारी	27	18	48	88	30	38
6.	चेड़े	27	18	41	88	29	22
7.	नामरांग (ट्यूमिन कर्मा चोलिंग गुम्पा)	27	19	38	88	31	5
8.	ऊपरी सेमडोंग (सेमडोंग)	27	21	23	88	30	1
9.	कैमबाल	27	22	11	88	29	45
10.	बालीमान	27	20	41	88	35	0
11.	ऊपरी लिंगउम	27	19	50	88	34	34
12.	परबिंग	27	21	11	88	34	54
13.	चांगरोंग	27	21	30	88	35	29
14.	एरी (लिंगडोक चैंकार गुम्पा)	27	22	44	88	33	57
15.	नामपोंग	27	22	56	88	33	1
16.	नेवे	27	22	41	88	35	52
17.	लिंगडोक	27	23	1	88	34	54
18.	पाचे	27	22	59	88	35	31
19.	सिमिक (सिमिक डेडुलिंग गुम्पा)	27	17	13	88	28	31
20.	थानसिंग	27	16	35	88	28	33
21.	लिंगजे (सिमिक)	27	17	59	88	28	7
22.	भोटेयगांव	27	21	40	88	36	14
23.	तकची	27	22	5	88	36	23
24.	ताकची	27	16	38	88	30	55
25.	पेटियम	27	16	44	88	31	19
26.	ब्यांग	27	15	57	88	30	5
27.	फेंगयोंग (सोंग केगयुड गुम्पा)	27	15	50	88	30	42
28.	लिंगटम टंका (मारटेम चैंकर गुम्पा)	27	17	11	88	32	4
29.	चिनजे	27	17	21	88	33	57
30.	श्यागयोंग रमटेक	27	18	21	88	34	9
31.	टेफ्याक मेंडू	27	18	40	88	33	39
32.	रेय	27	19	18	88	33	23
33.	सेबेक लिंगडम	27	20	0	88	33	51

[फा.सं. 25/12/2013-ईएसजेड-आरई]

डा. जी.वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2014

S.O. 309(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of

sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Fambonglho Wildlife Sanctuary located towards west of Gangtok, straddling the entire hill range with a majestic view of the Mountain Kanghendzonga, is an eco-tourist's delight. The sanctuary was established in 1984 to offset the ecological loss due to rapid development in Gangtok and its surroundings. The area of the sanctuary is 51.76 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary possesses the wildlife habitat and has an altitudinal gradient ranging from 1524 metres to 2749 metres. It is situated on a Northeast-Southwest trending ridges. The Wildlife Habitats is dominated by Quercus species (Kattus), Michelia species (Champ), Machilus species (Kaulo) and Morus species (kimbu). Bamboos, tree ferns, Cyathea species, Rhododendron species, interspersed with *Lyonia ovalifolia*, are also found inside the protected area. The sanctuary is also home to a large number of wild orchids, mosses and Lycopodium species;

AND WHEREAS, there is a settlement in an area of 32.38 hectare inside the sanctuary, but does not form part of sanctuary;

AND WHEREAS, the sanctuary is a habitat for a number of scheduled animals [Specified in Schedule I of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972)]and also drinking water source for the numerous villages and small towns surrounding it besides being the source for major tributaries of river Teesta, the life line of Sikkim. The sanctuary supports a large number of avifauna and is known to have a significant population of Satyr Tragopan providing a fertile breeding area for this endangered pheasant. Beside, a number of butterflies are found in the sanctuary. This is the nearest protected area from Gangtok with large tract of green cover;

AND WHEREAS, the Sanctuary is the habitat which supports variety of rare and endangered animals viz, goral, serow, red panda, himalayan black bear, weasels, martens, leopard, jungle cat, marbled cat, large Indian civet and palm civet. avi-faunal diversity exhibits kalij pheasant, satyr tragopan, hill patridge, brown wood owl, collared scops owl, yellow-billed blue magpie, black eagle, green pigeon, slaty-headed parakeet, yellow backed sun bird, maroon oriole, orange-bellied chloropsis, red-tailed minla, Nepal tree creeper, bulbuls, laughing thrushes and titmice which are present in the sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the Fambonglho Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view to protect and propagate the wildlife therein and its environment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 25 metres all around the boundary of the Fambonglho Wildlife Sanctuary in the State of Sikkim as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The extent of Eco-sensitive Zone is 25 meters all around the boundary of the Fambonglho Wildlife Sanctuary.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 27° 21' 51" N latitude and 88°36'25"E longitude towards east **(Reference point No.1 of map)**; 27°17'57"N latitude and 88°28'33"E longitude towards west **(Reference point No.9 of map)**; 27°22'49"N latitude and 88°34'50"E longitude towards north **(Reference point No.4 of map)** and 27°16'22"N latitude and 88°30'13"E longitude towards south **(Reference point No.11 of map)**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure I**.

(4) The list of 33 villages falling within the Fambonglho Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points are appended to this notification as **Annexure II.**

(5) The villages as given in Annexure II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) For the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

473 GI/14-3

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with the involvement of all concerned State Departments, such as Forest, Environment and Wildlife Management, Sikkim Police, Urban and Housing Development, Tourism, Rural Management and Development, Irrigation and Flood Control, Public Works Department and Land Revenue and Disaster Management for integrating ecological and environmental considerations into the said plan.

(3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.

(5) The Zonal Master Plan shall exempt all legally recorded non- forestland.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), as referred to in para 4, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

(7) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of activities specified under column (2) of the Table specified in para 3.

(8) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population including the activities listed at item numbers 12, 25, 26, 30 and 31 relating to rainwater harvesting, cottage industries including village artisans, etc., small scale industries not causing pollution, eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. and Security Forces Camp, respectively, under column (2) of the Table in para 3:

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (2 of 2007).

(9) The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.

(10) **Natural Springs.-** The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural settings shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(11) **Tourism.-** The activity relating to tourism within Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in line with the central guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism, Government of India with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) no new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity listed at item No.30 relating to Eco Tourism Facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. under in column (2) of the Table in para 3;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the SESZMC;

(iv) the tourism activities shall also form a component of the Zonal Master Plan.

(12) **Natural Heritage.-** The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified and incorporated in the Zonal Master Plan; all the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. in the Eco-sensitive Zone shall be preserved; the State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within six months from the date of publication of this Notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(13) **Noise pollution.-** The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(14) **Air Pollution.-**The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(15) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(16) **Solid Wastes.-** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September,2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner;

(17) **Bio-medical Waste.-** The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Central Government *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.

(18) **Vehicular Traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMC shall monitor the compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

3. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

S.No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-	-	All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents.
2.	Felling of trees.	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
3.	Setting up of saw mills.	Yes	-	-	
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	-	-	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
5.	Use or production	Yes	-	-	

	of any hazardous substances.				
6.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Yes	-	-	No new commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Yes	-	-	
8.	Commercial water resources including ground water harvesting.	-	Yes	-	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) the extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
9.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Yes	-	-	Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunneling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited except the micro hydel power projects (Up to 100KW) or the mini hydel power projects (from 101 to 2000KW), which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.
10.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	-	Yes	-	Promote underground cabling.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	-	-	Yes	
12.	Rain water harvesting.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
13.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	-	Yes	-	

14.	Vegetative fencing			Yes	
15.	Organic farming.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	-	Yes	-	For commercial purpose.
18.	Introduction of exotic species.	-	Yes	-	
19.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Yes	-	-	
20.	Protection of hill slopes and river banks.	-	Yes	-	
21.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	-	Yes	-	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	-	Yes	-	
24.	Adoption of green technology for all activities.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
25.	Cottage industries including village artisans, etc.	-	-	Yes	
26.	Small scale industries not causing pollution.	-	Yes	-	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, which do not cause any adverse impact on environment.
27.	New wood based industry.	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within of Eco-sensitive Zone.
28.	Collection of Forest produce or Non-Timber	-	Yes	-	

	Forest Produce (NTFP).				
29.	Construction activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 12, 25, 30 and 31. In the case of activities listed at item number 26, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.
30.	Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	-	Yes	-	
31.	Security Forces Camp		Yes		
32.	Use of plastic carry bags.	Yes	-	-	

4. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Sikkim which shall comprise of:-

(i) Chief Secretary, Government of Sikkim- Chairman;
(ii) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Shillong –Member;
(iii) Chief Conservator of Forests -Territorial- Member;
(iv) Representative from State Pollution Control Board-Member;
(v) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Sikkim – Member;
(vi) Representative of Rural Management Department, Government of Sikkim – Member;
(vii) Representative of Govind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development, Sikkim– Member;
(viii) Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim – Member;
(ix) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim – Member;
(x) Concerned District Collector-Member;
(xi) Concerned Divisional Forest Officer, Environment -Member;
(xii) Director, Department of Environment–Member Secretary.

(2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes any of the provisions of this notification.

(6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.

5. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court.

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

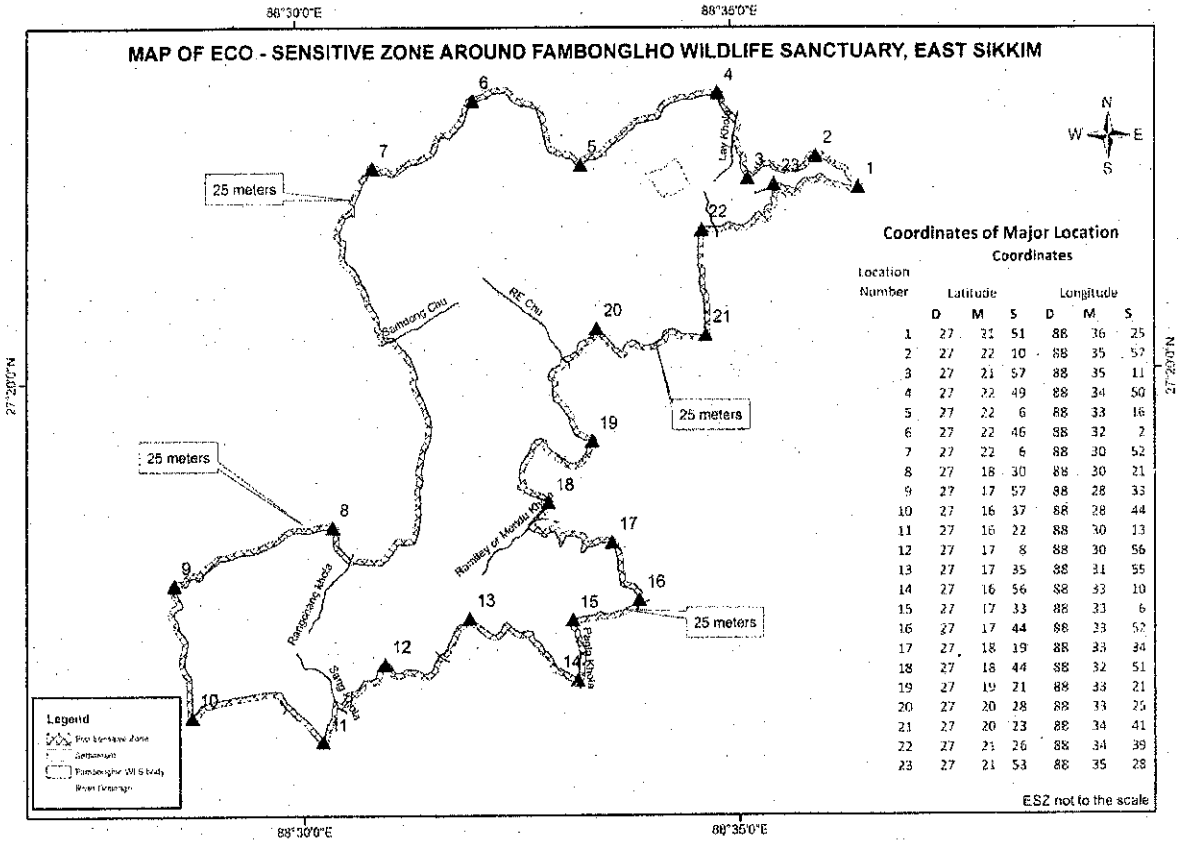

Annexure II

Villages falling within the proposed Eco Sensitive Zone of Fambonglho Wildlife Sanctuary in Sikkim.

Sl.No.	NAME	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second
1.	Upper Rakdong	27	22	44	88	31	33
2.	Upper Tintek	27	22	18	88	30	45
3.	Raksay (Rakdong Tintek Gumpa)	27	23	21	88	32	18
4.	Khese	27	20	36	88	30	28
5.	Dhanbari	27	18	48	88	30	38
6.	Chadey	27	18	41	88	29	22
7.	Namrang (Tumin Karma Choling Gumpa)	27	19	38	88	31	5
8.	Upper Samdong (Samdong Menkagyud Gumpa)	27	21	23	88	30	1
9.	Kambal	27	22	11	88	29	45
10.	Baliman	27	20	41	88	35	0
11.	Upper Lingdum	27	19	50	88	34	34
12.	Perbing	27	21	11	88	34	54
13.	Changrong	27	21	30	88	35	29
14.	Ari (Lingdok Chenkar Gumpa)	27	22	44	88	33	57
15.	Nampong	27	22	56	88	33	1
16.	Navey	27	22	41	88	35	52
17.	Lingdok	27	23	1	88	34	54
18.	Pachey	27	22	59	88	35	31
19.	Simik (Simik Daduling Gumpa)	27	17	13	88	28	31
20.	Thangsing	27	16	35	88	28	33
21.	Lingzey(Simik)	27	17	59	88	28	7
22.	Bhoteygaon	27	21	40	88	36	14
23.	Takchi	27	22	5	88	36	23
24.	Tirkutam	27	16	38	88	30	55
25.	Patieum	27	16	44	88	31	19
26.	Byang	27	15	57	88	30	5
27.	Phengyong (Song Kagyud Gumpa)	27	15	50	88	30	42
28.	Lingtam Tanka (Martam Chenkar Gumpa)	27	17	11	88	32	4
29.	Chinzey	27	17	21	88	33	57
30.	Shyagyong Rumtek	27	18	21	88	34	9
31.	Tephyak Mendu	27	18	40	88	33	39
32.	Rey	27	19	18	88	33	23
33.	Sebek Lingdum	27	20	0	88	33	51

[F. No. 25/12/2013-ESZ/RE]
Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054